

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित विशेष रूप से वर्णित अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी के नियम और शर्तें

बिक्री प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 में निर्धारित शर्तों के अधीन होगी और आगे की शर्तों के अनुसार होगी।

1. सरफेसी अधिनियम के तहत बैंक ने नीचे अनुसूची में वर्णित संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।
2. नीलामी “जैसे है जहां है”, “जैसे है जो है” आधार और “जो कुछ भी है और बिना संभोग के है” पर आयोजित की जा रही है।
3. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के लिए, किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीकताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले, परिवेदनाओं, संपत्ति का शीर्षक और नीलामी पर लगाए गए दावों / अधिकारों / बकाया / संपत्ति को प्रभावित करने से पहले अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन का संघर्ष नहीं है और इसे किसी भी प्रतिबद्धता या बैंक का कोई वायदा माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / सिव्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
4. बोली प्रस्तुत करने से पहले यह बोली लगाने वालों की जिम्मेदारी होगी कि वे परिसंपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और खुद की संतुष्टि करें। नीलामी में लगाए गए संपत्ति / यों का निरीक्षण प्रत्येक संपत्ति विवरण के खिलाफ उल्लिखित साइटों पर इच्छुक बोलीदाताओं को करने की अनुमति होगी।
5. नीलामी विज्ञापन का गठन अंश नहीं है और इसे किसी भी प्रतिबद्धता या बैंक के किसी भी प्रतिनिधित्व का हिस्सा नहीं माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह बैंक को ज्ञात हो या अज्ञात। संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / सिव्योर्ड क्रेडिटर किसी भी तीसरे पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
6. बोलीकारों को ईएमडी जमा करने के बाद अपनी बोली वापस लेने की अनुमति नहीं है। नीलामी में बोलीकारों की गैर-भागीदारी के मामले में, ईएमडी को जब्त माना जाएगा
7. इच्छुक बोलीदाता वेब पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> के माध्यम से अपने दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे: (यूजर आईडी और पासवर्ड <https://www.bankeauctions.com> के साथ नाम पंजीकृत करके नि: शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) आईडी और पासवर्ड। निम्नलिखित खाते में NEFT / RTGS के माध्यम से एट्रुदेय होगी: **57500000904261**, खाते का नाम: **DFS TRANSITORY ACCOUNT**, लाभार्थी का नाम: **HDFC BANK LTD.**, IFSC कोड: **HDFC0000240** या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से) नीलामी सूचना में उल्लिखित तिथि से पहले या उससे पहले एचडीएफसी बैंक लिमिटेड खाता संख्या **57500000904261** नवीनतम। एनईएफटी / आरटीजीएस केवल इच्छुक बोलीदाताओं के खाते से किया जाएगा और जिसका विवरण वेब पोर्टल में उल्लेखित किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के पक्ष में चुकता किए गए डीडी / पे ऑर्डर लुधियाना में किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक पर आहरित होने के लिए देय होंगे। बोली में भागीदारी के पत्र के साथ, प्राधिकृत अधिकारी श्री **नरेंद्र नंदा** तक / एचडीएफसी बैंक लिमिटेड में नीलामी सूचना में उल्लिखित तारीखों, समय विशेष आप्रेशंस के लिए विभाग, **डिप. फार स्पेशल आप्रेशनज, 5वीं मंजिल, बी21, 14570, जी.टी. रोड, ढोलेवाल चौक, नजदीक गुलजार मोटरज, लुधियाना 141008**, में पहुंच जाने चाहिये।
8. वेब पोर्टल में बोली लगाने वाले द्वारा पंजीकरण (एक बार) के बाद, इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को बोली दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय से पहले वेब पोर्टल में अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करना आवश्यक है। i) भागीदारी पत्र के साथ एनईएफटी / आरटीजीएस चालान या डिमांड ड्राफ्ट की प्रति; ii) पैन कार्ड की प्रतिलिपि; iii) पहचान / पते का प्रमाण (KYC) अर्थात मतदाता पहचान पत्र / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट / राशन कार्ड आदि की स्वै-सत्यापित प्रति; जिसके बिना बोली अस्वीकार की जा सकती है। एनैक्चर-II और III की स्कैन की गई कॉपी (वेब पोर्टल से डाउनलोड की जा सकती है: <https://www.bankeauctions.com>) विधिवत भरने और भेजने के बाद भी आवश्यक है
9. इच्छुक बोलीकार जिन्हें लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता होती है, वे मैसर्स से **C1 इंडिया प्रा लिमिटेड**, प्लॉट नंबर 301, गल्फ पेट्रो केम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज 2, गुडगांव। हेल्पलाइन नंबर: 0124-4302020 / 21/22/23/24, श्री पंदीप सिंह मोबाइल: 09646796075, हेल्प लाइन ई-मेल आईडी: **support@bankeauction.com** और किसी भी संपत्ति से संबंधित प्रश्न के लिए **Madhur Sharma** से मोबाइल नंबर: **9356070006**; ई-मेल आईडी: कार्य दिवसों पर कार्यालय समय के दौरान **madhur.sharma@hdfcbank.com** (सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक) सम्पर्क कर सकते हैं।
10. एनईएफटी / आरटीजीएस के वैध यूजर आईडी / पासवर्ड और पुष्टि भुगतान रखने वाले केवल खरीदार ही ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
11. इच्छुक बोलीदाता को अपने बोली दस्तावेज ईएमडी (रिजर्व मूल्य के 10% से कम नहीं) और आवश्यक दस्तावेज (प्वाइंट नं. 5 में उल्लिखित) नीलामी नोटिस में उल्लिखित तारीखों को / पहले, शाम 4 बजे तक, पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से (एक बार) जमा कराने होंगे और स्वयं की युजर आईडी और पासवर्ड जैनेरेट करने के लिए, ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, जो कि उचित सत्यापन (दस्तावेजों के) और / या संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन का विषय होगा।
12. ऑनलाइन इंटर-से बidding के दौरान, बोलीकार अपनी बोली राशि को ‘बोली वृद्धि राशि’ (ऊपर उल्लिखित) या इसके मल्टीपल के अनुसार बेहतर कर सकते हैं और यदि ई-नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट के दौरान बोली लगाई जाती है। नीलामी, समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट (ई-नीलामी प्रक्रिया के बंद होने तक प्रत्येक बार) तक बढ़ जाएगा, अन्यथा, यह स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा। ई-नीलामी प्रक्रिया के समापन पर उच्चतम बोली राशि (रिजर्व मूल्य कम से नीचे नहीं) जमा करने वाले बोलीदाता को आवश्यक सत्यापन के बाद संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / सिव्योर्ड क्रेडिटर द्वारा एक सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा।
13. संबंधित प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और संबंधित प्राधिकृत अधिकारी के पास इस बारे में कोई कारण बताए किसी भी या सभी प्रस्ताव (i) स्वीकार या रद्द करने या ई-नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार है।
14. संभावित योग्य बोलीदाता मैसर्स **C1 इंडिया प्रा लिमिटेड** ई-नीलामी की तारीख से पहले से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। **C1 इंडिया प्रा लिमिटेड** ई-नीलामी की तारीख से पहले। न तो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी / बैंक और न ही मैसर्स **C1 इंडिया प्रा लिमिटेड** यह सुनिश्चित करने के लिए किसी भी इंटरनेट नेटवर्क समस्या और इच्छुक बोलीदाताओं के लिए उत्तरदायी होगा कि वे तकनीकी रूप से ई-नीलामी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं।

15. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे M / s C1 इंडिया प्रा. लिमिटेड, <https://www.bankeauction.com> और www.hdfcbank.com अपनी बोलियां जमा करने और ई-नीलामी में हिस्सा लेने से पहले। के वेब पोर्टल पर उपलब्ध ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों से गुजरें।

16. ऑनलाइन बोली लगाने के दौरान कनेक्टिविटी के संबंध में किसी भी मामले में बोली लगाने वाले की एकमात्र जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में कोई दावा दाखिल नहीं किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को <https://www.bankeauctions.com> पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए और यूजर-आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। बोली लगाने वाले जो C1 India Pvt द्वारा प्रदान की गई वैध आईडी और पासवर्ड रखते हैं को पैन के उचित सत्यापन के बाद इस नीलामी के लिए उपरोक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति है

17. अंतिम क्षणों में बोली लगाने वालों को खुद को हित के लिए न तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के रूप में बोली लगाने से बचना चाहिए, न ही सेवा प्रदाता किसी भी चूक / विफलता (इंटरनेट विफलता / बिजली की विफलता आदि) के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थितियों को रोकने के लिए बोली लगाने वालों से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं / विकल्प जैसे कि बिजली की आपूर्ति बैक-अप आदि करें, ताकि वे ऐसी स्थिति को दरकिनार कर सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

18. बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि पर और यदि भुगतान की शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो बिक्री की प्रदत्त शक्ति का उपयोग करने वाले संबंधित प्राधिकृत अधिकारी क्रेता (ों) के पक्ष में अचल संपत्ति के लिए बिक्री प्रमाण पत्र जारी करेंगे। प्रतिशति हित (प्रवर्तन) रूलज 2002 के एपेंडिक्स-V के दिए गए फार्म में क्रेता (ओं) / आवेदक (नों) के नाम से जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम (ों) में जारी नहीं किया जाएगा।

19. यदि बिक्री मूल्य रु. 50,00,000 / - से अधिक है (केवल पचास लाख रुपये) तो नीलामी क्रेता / सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस के रूप में संपत्ति के मालिक के नाम पर काटनी होगी आयकर विभाग की धारा 194 कअ के अनुसार इसे आयकर विभाग को भेज दें और बिक्री मूल्य का केवल 99% बैंक को भेज दिया जाए। बिक्री प्रमाणपत्र केवल फॉर्म 26दइ प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा और टीडीएस को फिर से प्राप्त करने के लिए चालान किया जाएगा।

20. क्रेता लागू स्टॉप ड्यूटी / अतिरिक्त स्टॉप ड्यूटी / ट्रांसफर शुल्क, शुल्क आदि और किसी भी अतीत, वर्तमान या भविष्य के एन्कोम्बेंस, सभी वैधानिक / गैर-वैधानिक देय राशि, जो किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा बिक्री कर के तहत प्रकृति में वहन करेगा।, नगर पालिका कर, संपत्ति कर, बिजली बकाया, जल बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क आदि किसी भी प्राधिकरण, निगम, विभाग या किसी के कारण।

21. बैंक किसी भी मुकदमे के लिए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, चाहे वह किसी भी संपत्ति के संबंध में मार्टगेजर (ों) या कर्जदार (ों) के दृष्टांत पर हो।

22. बैंक के पास बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन से पहले किसी भी समय इस बिक्री को रद्द करने का विवेक है और उस घटना में बैंक बिना ब्याज के बैंक को भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करेगा।

23. इस बिक्री प्रमाण पत्र के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी खरीदार द्वारा ही वहन की जाएगी।

24. बैंक द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने पर, बिक्री पूरी हो जाएगी और बैंक द्वारा कोई दावा दाखिल नहीं किया जाएगा।

25. इस नोटिस में कुछ भी नहीं है या संपत्ति बेचने के लिए बैंक की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या प्रतिनिधित्व का संघटित करने के लिए समझा जाएगा। बैंक किसी भी कारण से बिक्री को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है या बिना कोई कारण बताए भी उसे रद्द कर सकता है और ऐसे रद्द करने पर बोलीदाताओं द्वारा सवाल में नहीं कहा जाएगा।

अंतमि / भू-सम्पत्ति की अनुसूची:

नोटिस के अनुसार

तिथि: **08.01.2023**

स्थान: **लुधियाणा**

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड